Order Sheet [Contd]

Case No..................of 20...................

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
18-08-26	राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित। आवेदक ....सोनू राठौर........ सहित अधिवक्ता श्री ....राकेश वर्मा......... उपस्थित। प्रकरण केस डायरी प्राप्ति एवं सुपुर्दगी आवेदन पर तर्क हेतु नियत है। पुलिस थाना खराहेल से अपराध क्र0-369/26..... अंतर्गत धारा 281, 125A, 125 भा.न्या. सं. 2023 की केस डायरी मय कैफियत प्रतिवेदन के प्राप्त। उक्त सुपुर्दगीनामा आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए। आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 497, 503 बी.एन.एस.एस. यह है कि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का वाहन MP07NQ2575 को पुलिस थाना खराहेल ने मिथ्या अपराध में जप्त कर थाने में रख लिया है, जबकि उक्त वाहन का किसी अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है। उक्त वाहन उसके दैनिक उपयोग का वाहन है, उसके अभाव में आवेदक को परेशानी आ रही है तथा वाहन भी थाने में खुले में रखने से उसके धूल मिट्टी से खराब होने की पूर्ण संभावना है। प्रकरण में निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आवेदक वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के बाद विकय, बंधक, रूपांतरित, दान, अंतरित नहीं करेगा। न्यायालय की समस्त शर्तों का पालन करेगा अतः आवेदक ने उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर दिए जाने का निवेदन किया। ए.डी.पी.ओ. द्वारा उक्त आवेदन का लिखित जबाव न दिया जाकर मौखिक आपत्ति व्यक्त की गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन पर प्रकट होता है कि आरक्षी केन्द्र से अपराध क्र0-369/26 अंतर्गत धारा 281, 125A, 125..... भा.न्या.सं. 2023 के संबंध में वाहन MP07NQ2575..... को जप्त किया गया है। आवेदक ने उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर चाहा है। 1. वाहन MP07NQ2575....... के पंजीकृत स्वामी/आवेदक के नाम होकर वैध है। 2. वाहन का बीमा दिनांक 03/11/21 से दिनांक 02/11/26.....तक का होकर वैध है एवं वर्तमान में	सोनू

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

की वाहन बीमित है।

रजिस्ट्रेशन कार्ड के अवलोकन से दर्शित है कि प्रश्नगत वाहन आवेदक के नाम पर पंजीबद्ध है। आवेदक उक्त जप्तशुदा वाहन का पंजीकृत स्वामी होना प्रथमदृष्टया दर्शित होता है। अन्य कोई दावेदार भी न्यायालय में उपस्थित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुंदरलाल अंबाभाई देसाई विरूद्ध गुजरात राज्य आदि ए.आय.आर. 2003 एस.सी. 638 में अभिनिर्धारित किया गया था कि जप्तशुदा वाहन के संबंध में शीघ्र से शीघ्र अंतरिम अभिरक्षा कर विचार किया जाना चाहिए एवं जप्तशुदा वाहन को अधिक समय तक आरक्षी केन्द्र में खड़े रहने देने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रश्नगत वाहन को अनुसंधान के अनुक्रम में जप्त किया गया है। वर्तमान परिस्थिति के आलोक में प्रकरण के निराकरण में समय लगने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है। जप्तशुदा वाहन सुपुर्दगी में नहीं दिये जाने की दशा में उसके खराब होने की संभावना है। उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरांत तथा हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आदेशित किया जाता है कि जप्तशुदा वाहन MP07 NQ 2515 के संबंध में आवेदक के द्वारा 50 हजार का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिया जाए :–

1. आवेदक आगामी न्यायालयीन आदेश पर्यन्त वाहन सुरक्षित व अहस्तांतरित रखेगा।

2. प्रकरण के अंतिम निराकरण तक आवेदक वाहन की विषय–वस्तु को परिवर्तित नहीं करेगा तथा जब भी न्यायालय को आवश्यकता होगी तो स्वयं के व्यय पर वाहन को उपस्थित रखेगा।

3. वह प्रश्नगत वाहन पर किसी और व्यक्ति का स्वामित्व या आधिपत्य संबंधित दावा किये जाने की स्थिति में न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रश्नगत वाहन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने अथवा संबंधित सुसंगत आदेश का पालन करने हेतु तत्पर रहेगा।

उपरोक्तानुसार सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर थाना प्रभारी को जप्तशुदा वाहन को आवेदक को विधिवत सुपुर्दगी पर प्रदत्त किये जाने हेतु आदेश प्रेषित किया जाता है।

रिहाई आदेश इस नोट के साथ जारी किया जावे कि आवेदक के व्यय पर चतुष्कोणीय फोटो, जिसमें वाहन के नंबर भी स्पष्ट रूप से दर्शित हो, प्रस्तुत करने के उपरांत तथा मूल दस्तावेज की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत करने के उपरांत

Order Sheet [Contd]

Case No................of 20..................

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	आवेदक को वाहन अंतरिम सुपुर्दगी पर दिया जावे। सुपुर्दगीनामा पेश करने पर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जावे। आयुषी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डबरा, जिला ग्वालियर म0प्र0 पुनश्च :— उक्त आदेश के पालन में सुपुर्दगीदार सोनू बघेल पु० इंदर बघेल ने प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का 50 हजार ₹ का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया गया, जो बाद तस्दीक स्वीकृत किया गया। सुपुर्दगीदार की पहचान श्री यशरिप वर्मा अधिवक्ता द्वारा की गई। जप्तशुदा वाहन का रिहाई आदेश जारी किया गया। केस डायरी वापस की जावे। पत्रावली अभियोग पत्र पेश होने पर प्रकरण के साथ संलग्न की जावे। आयुषी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डबरा, जिला ग्वालियर म0प्र0	सोनू Identified by me 18/8/16

(P.T.O.)

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

C.j.G./P.P./15/14.12.2024/50,000 Nag